तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज 306/2023
06/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 व 3 एकपक्षीय। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थी अधिवक्ता जानबूझकर बहस नहीं करने हेतु उपस्थित नही हो रहे है,जो एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। पत्रावली अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण लम्बे समय से बहस में चल रहा है तथा विप्रार्थी अधिवक्ता को बहस करने के अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हो रहे है। अंत प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जानी उचित प्रतीत होती है।' प्रार्थी अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण

सहायक कलक्टर
(S.D.C.) बालोतरा

306/2023

न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.10.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा